न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 02/20 (वि.प्रा.पत्र)

1. श्रीमती सुमन पत्नी ललित सुखवाल निवासी 68 बी अम्बामाता उदयपुर।
2. श्रीमती प्रितिका कुंवर पत्नी पृथ्वीसिंह चौहान राजपूत निवासी आर.बी.एच. कॉलोनी गोवर्धन विलास उदयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का लदानी तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. राजपेरोकार मावली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 14.10.2020

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मौजा विशनपुरा पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 550, 551, 552, 854/555 किता 4 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा हैं। उक्त वर्णित आराजीयात के पडोस पूर्व–पडत जमीन, पश्चिम–आम रास्ता (40 फीट), उत्तर–राधेश्याम मण्डोवरा की जमीन, व दक्षिण–बिलानाम जमीन स्थित है उक्त आराजीयात में आने–जाने के लिए पश्चिम की ओर स्थित आम रास्ते जो कि 40 फीट चौडा है, उससे हम प्रार्थीगणों की जमीन में आने–जाने के लिए सदीप समय से एक रास्ता 40 फीट चौडा उत्तर से दक्षिण व 130 फीट लम्बा पूर्व से पश्चिम बना हुआ, जिस पर हम प्रार्थीगण अपनी जमीन पर आ–जा रहे हैं व उक्त जमीन का उपयोग–उपभोग इसी रास्ते करते चले आ रहे है, लेकिन उक्त नकल जमाबन्दी एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। जिस कारण हम प्रार्थीगण अपनी आराजीयात का उपयोग–उपभोग करने में असहज महसुस करते है, भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शें में ए.बी.सी.डी द्वारा दर्शित रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन होना आवश्यक हैं। नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.03 12:16:51 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थीगण को हमारी खातेदारी जमीन का उपयोग उपभोग के लिए ट्रेक्टर व वाहन आदि ले जाने के लिए रास्ता खुला होना आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते का अंकन होना आवश्यक एवं न्यायोचित है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात के दक्षिण दिशा में बिलानाम जमीन स्थित है व उक्त वर्णित आराजीयात के उत्तर दिशा में राधेश्या मजी मण्डोवरा की जमीन स्थित है व पूर्व में किसी अन्य खातेदारान की जमीन स्थित है व हम प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने–जाने हेतु केवल मात्र नजरी नक्शें में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है इस कारण हम वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकन फरमाने का आदेश दिया जावें ताकि उक्त जमीन का सही तरीके से उपयोग उपभोग कर सके।
4. यह कि प्रार्थीगण महिला होने की वजह से भविष्य में होने वाली किसी भी तरह के विवाद से लडने में असमर्थ है तथा विवादों से बचने के लिए उक्त रास्ते को खुलवाया जाना आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड में भी उक्त रास्ते का अंकन करवाया जाना आवश्यक हैं।
5. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त रास्ता खुलवाया जावे एवं उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।
7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में जवाब/बिन्दूवार रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.03 12:16:51 IST
Reason: SelfAttested

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होकर वर्तमान में आराजी संख्या 547 व 549 बिलानाम व 548 बिलानाम रास्ता का उपयोग किया जा रहा हैं। रेकार्डेड दर्ज हेतु आराजी नम्बर 547 में से 0.02 बीघा, आराजी संख्या 549 में से 0.02 बीघा कुल 0.04 बीघा भूमि बिलानाम में से 30 फीट चौडाई में प्रस्तावित की हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के बाहर बिलानाम आराजी संख्या 547, 548 (रास्ता) व 549 में अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल (पक्की) बना रखी हैं। प्रस्तावित रास्ता 30 फीट चौडाई में आराजी संख्या 549 रकबा 4.02 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त बंजड में से 0.02 बीघा, आराजी संख्या 547 रकबा 0.10 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त बंजड में से 0.02 बीघा कुल 0.04 बीघा रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई हैं। ग्राम विशनपुरा से 500 मीटर व विशनपुरा–खेमपुर रास्ता के पास स्थित हैं। आबादी सडक (रास्ता) के पास असिंचित डी.एल.सी. 1,11,406 रूपये प्रतिबीघा है। डी.एल.सी. से प्रस्तावित 0.04 बीघा का 22,282 रूपये बनते हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 22,282/– अक्षरे बाईस हजार दौ सौ बरासी रूपयें होना बताया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.03 12:16:51 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा विशनपुरा पटवार क्षैत्र लदानी की आराजी नम्बर 550, 551, 552, 854/555 किता 4 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 549 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षी की आराजी में से प्रस्तावित 130 फीट लम्बाई व 30 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 30 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 549 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 547 रकबा 10 बिस्वा में से 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि का प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 4 बिस्वा का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 547, 548 व 549 में पक्की बाउण्ड्रीवॉल बनाकर अतिक्रमण कर रखा हैं वह भी प्रार्थीगण के खर्चे पर हटाया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विशनपुरा पटवार क्षैत्र लदानी की आराजी नम्बर 550, 551, 552, 854/555 किता 4 रकबा 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.03 12:16:51 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 8 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 549 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बिस्वा व आराजी नम्बर 547 रकबा 4 बिस्वा में से 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 1,11,406/– अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार चार सौ छः रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 22,282/– का दुगुना 44,564/– रूपयें अक्षरे चौवालीस हजार पांच सौ चौसठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। **उक्त राशि राजकोष में जमा कराने एवं आराजी नम्बर 547, 548 व 549 में अतिक्रमण (पक्की बाउण्ड्रीवॉल) प्रार्थीगण स्वयं के खर्चे पर हटाने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें।** इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.03 12:16:51 IST
Reason: SelfAttested